2017 [illegible]
28/2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पुरैनी)

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 35 / 2017

भीमसिंह उर्फ नारायनसिंह पुत्रश्री जलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

......................वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
2–गिर्राजसिह पुत्रश्री जलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

............प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति : 1–श्री भीमसिंह – वादी
2–गिर्राजसिंह – प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला–धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक : 31.5.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 174, 350, 352 स्थित ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है । उक्त रिकार्ड में वादी का नाम भीमसिंह के स्थान पर बचपन में बोलने वाला नाम नारायनसिंह अंकित कर दिया है । नारायनसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव में नहीं है । अन्य राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भीमसिंह पुत्रश्री जलसिंह ही अंकित है । वादी का वास्तविक नाम भीमसिंह है तथा समस्त अन्य दस्तावेज भीमसिंह के नाम से ही है । वादी ने पूर्व में धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो निरस्त कर निर्देश दिये गये थे कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें । इसलिए दावा प्रस्तुत किया गया है । वादी द्वारा निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी पर वादी का नाम नारायनसिंह के स्थान पर भीमसिंह अंकित कराया जावे ।

दावा बादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 कैम्प के दौरान उपस्थित आये तथा दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । प्रकरण की स्थिति के अनुरूप तथा लोक अदालत की

[signature]

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

भावना से वादी के नाम वावत् सरपंच ग्राम पंचायत पुरैनी एवं तहसीलदार सैपऊ से रिपोर्ट ली गई ।

तहसीलदार सैपऊ एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुंत कर अवगत कराया कि वादी का वास्तविक नाम भीमसिंह है तथा वचपन में नारायनसिंह कहते थे, इसलिए विवादित आराजी पर भीमसिंह के स्थान पर नारायनसिंह अंकित हो गया है। विवादित आराजी पर नारायनसिंह के स्थान पर भीमसिह अंकित किये जाने की अभिशंषा भी की है । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी वादी भीमसिंह पुत्र जलसिंह ही अंकित है । उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि वादी का नाम नारायनसिंह नहीं है, बल्कि भीमसिंह पुत्रश्री जलसिंह है । वादी का दावा डिकी किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिकी किया जाता है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 174, 350, 352 स्थित ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ में वादी का नाम नारायनसिंह पुत्रश्री जलसिंह के स्थान पर भीमसिंह पुत्रश्री जलसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । शेष इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे । पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2017 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र पुरैनी

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....